न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 79/2021 | तारीख दायरा 07.07.2021 | तारीख फैसला 23.02.2026

पीठासीन अधिकारी– श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– गायत्री बाई पत्नी इन्द्रराज उम्र 38 वर्ष जाति गुर्जर
2– मुस्कान कुमारी पुत्री इन्द्रराज उम्र 12 वर्ष जाति गुर्जर
3– अवतार सिंह पुत्र इन्द्रराज उम्र 8 वर्ष जाति गुर्जर नाबालिक जरिये वली संरक्षक माता गायत्री बाई पत्नी इन्द्रराज उम्र 38 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मदारिया तहसील दीगोद जिला कोटा

प्रार्थीगण(वादीगण)

बनाम

1– बनवारी लाल आत्मज गोपाल जाति गुर्जर
2– रामकरण आत्मज गोपाल जाति गुर्जर
3– चन्द्रप्रकाश आत्मज बनवारी लाल जाति गुर्जर निवासीगण मदारिया तहसील दीगोद जिला कोटा
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

अप्रार्थीगण(प्रतिवादीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 धारा 11 जा0 दी0

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 धारा 11 सीपीसी बाबत निम्न निवेदन करता है:–

1– यह कि उक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में जेरकार है। जिसमें आज तारीख पेशी नियत है।

2– यह कि वादिनी द्वारा ग्राम मदारिया हल्का मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा की भूमियां खाता संख्या 65 की खसरा नम्बर 249 रकबा 2.59 हैक्टयर खाता संख्या 66 कुल 2 किता की 3.67 हैक्टयर, खाता संख्या 67 कुल 3 किता की 4.03 हैक्टयर खाता संख्या 68 कुल 5 किता की 1.16 है0 तथा ग्राम मदारिया की खाता संख्या 59 कुल 3 किता की 1.43 है0, खाता संख्या 104 की 1.91 हैक्टयर शामलाती भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया है तथा धारा 53 विभाजन की भी प्रार्थना की है लेकिन वाद पत्र में शेष अन्य खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इस कारण उक्त वाद आर्डर 7 रूल 11 जाब्ता दीवानी के तहत नियम विरूद्व होने के कारण खारीज किये जाने योग्य है तथा दावा मिसजोइन्डर ऑफ पार्टीज से ग्रसित होने के कारण भी उक्त वाद नियम विरूद्व होने से आर्डर 7 रूल 11 के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं है।

3– यह कि शेष तथ्य वक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन किये गये जायेगें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगणों को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी के तौर पर बनाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी (प्रतिवादी) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शा0फाईल किया जाकर नकल अप्रार्थी (वादी) को दिलवाई गयी।

अप्रार्थी (वादी) अधि0 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश नहीं कर सीधे ही बहस किये जाने हेतु निवेदन किया गया प्रार्थना पत्र बहस पर नियत किया गया।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी(प्रार्थी) अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उक्त वाद 53, 88, 89 हेतु प्रस्तुत किया गया किन्तु सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जावें। अप्रार्थी (वादी) अधि0 ने बहस में कथन किया कि उक्त वाद घोषणा का वाद वादीया द्वारा प्रस्तुत किया है जिसमें लिपीकीय त्रुटि से सहखातेदारों को पक्षकार बनाये जाने से रह गये है इस संबंध में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 का प्रस्तुत किया जा चुका है। एवं संहवन लिपिकीय त्रुटि से अंकित धारा 53 को विलोपित किये जाने हेतु भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को खारीज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी को बहस पर नियत किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में जो तथ्य उभय पक्ष द्वारा अवगत कराये है को साक्ष्य से प्रमाणित होने का विषय है न कि इस प्रकार प्रार्थना पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है या नहीं। यह प्रमुखतया वाद के विचाराधीन बिन्दु है, जिसका विनिश्च विवाद्यक बिन्दुओं के सम्यक विनिश्चय पश्चात मेरिट पर ही किया जाना उचित है।

प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में पूर्णतया स्पष्ट नहीं किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किस आधार पर स्वीकार किया जावे। सिविल प्रकिया संहित आदेश 7 नियम 11 के जिन आधारों पर वाद पत्र नामंजूर किया जावे। प्रार्थी प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में अपने प्रार्थना पत्र में किसी भी दशा को प्रमाणित नहीं कर पाये है। वादपत्र के आधार, वाद की विषयवस्तु, वांछित रिलीफ तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तथा उक्त प्रार्थना पत्र में वांछित रिलीफ तथा अन्य दस्तावेजात का अध्ययन करने पर यह पाते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना ही वाद से संबंधित विषयवस्तु के क्रम में उचित है।

अतः समुचित कारणाभाव तथा साक्ष्याभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी कम 1) अस्वीकार किया जाना उचित है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सम्बन्धित पत्रावली मिसल नं0 79/2021 में संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद